INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI: 110 001.

F. No.8-1/2016-IU Dated 4.7.2016

Subject: - Non Compliance by the Ministries / Departments in timely submission of Action Taken Notes on Non-selected Audit Paragraph's of the C&AG of India.

Instructions have been issued from Joint Secretary to the Government of India vide O.M. dated 21st June, 2016 (Copy enclosed), on the above subject for strict compliance by all ICAR Institutes.

This issues with the approval of Director (Finance).

Sharma 4.7.16

(K.K. Sharma)
Finance & Accounts Officer

Distributions:-

1. All Directors of Institute/ NRC/PDs/ZPDs of ICAR
2. PPS to DG/PS to AS&FA.
3. C.F&A.O./Sr.F.&A.O./A.F&A.O./Finance Officers of All Institutes of ICAR/NRC/PDs/ATRARI

No. 12(13)/E.Coord/2015
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (डेयर/भा. कृ. अनु. परिषद)
Addl. Secretary & Fin. Adviser DARE/ICAR) 3091R
Dy. No.... Date 27/6/16

Lok Nayak Bhavan, New Delhi
Dated 21 June, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : 'Non-compliance by the Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of the C&AG of India – 1st Report (16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (para 8 & 10).

The undersigned is directed to refer to 1st Report of the Public Accounts Committee (16th Lok Sabah) on the above subject. The observations of the Committee in para 8 & 10 of the Report are reproduced below:-

Para 8:-

The Committee are conscious that in case of large Ministries like Railways, Defence, External Affairs, etc. collecting information may take more time as information/replies have to be obtained from various field formations and in the case of MEA, from different time zones. However, the Committee are of the considered view that the submission of ATNs to the Committee cannot be delayed unconscionably. The Committee, therefore recommend that in cases where the audit raises certain objections on the ATNs submitting for vetting and the Ministry does not agree with such objections/observations, the concerned Ministry may submit ATNs to the Committee alongwith Audit observations. Further, in cases where the Ministry/Department accepts the audit points on recovery of dues and where the actual recovery takes time, the audit may consider to clear the audit observation provisionally and the Ministry may go ahead and submit the ATNs to the Committee. But in every such a case, it is incumbent upon the Ministry to apprise the Audit of the recoveries made in due course.

ASEFA
DDF-I

1013
28.7.16

Para 10:-

Audit reports, after they are laid in Parliament are available on the C&AGs website. The Committee observe that the Department of Expenditure (Monitoring Cell) downloads them and manually upload in the APMS Portal. The Ministries have stated that one of the major reasons for delays in preparation and submission of ATNs is that the field formations/Autonomous bodies/institutions are situated far and wide and hence communicating with them and obtaining information is delayed. The Committee considering the fact that the audit reports are uploaded in the C&AG website immediately upon their laying in Parliament, recommend that the Ministries/Departments give standing instructions to their filed formations/attached/subordinate offices/autonomous institutions that they start preparing replies/take appropriate action by accessing the C&AG website on the relevant audit objections without waiting for a formal communication in this regard by their respective Ministries/Departments. The Committee would like to be apprised of the instruction issued by the Government of India in this behalf.

2. All the Ministries/Departments are requested to take cognizance of the observations of PAC and take necessary action accordingly.

(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

All Secretaries to the Government of India

All Financial Advisors (by name)

Copy to :- 1. Director of Audit, O/o C&AG, 9, DDU Marg, New Delhi.
2. Monitoring Cell.

सं. 12(13)/ई.कोऑर्ड/2015

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

२१ जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समय पर प्रस्तुत न किया जाना- लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की प्रथम रिपोर्ट (पैरा 8 एवं 10)।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की प्रथम रिपोर्ट का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। इस रिपोर्ट के पैरा 8 एवं 10 में की गई समिति की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:-

पैरा 8:-

समिति इस बात से अवगत है कि रेल, रक्षा, विदेश मंत्रालयों आदि जैसे बड़े मंत्रालयों के मामले में सूचना एकत्र करने में अधिक समय लगता है क्योंकि सूचना/उत्तर विभिन्न फील्ड फॉर्मेशन्स से प्राप्त करना होता है और विदेश मंत्रालय के मामले में इन्हें विभिन्न टाइम जोनों से प्राप्त करना होता है। हालांकि, समिति का सुविचारित मत है कि समिति में एटीएन के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब नहीं किया जा सकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि उन मामलों में जहां जांच के लिए दिए गए एटीएन पर लेखापरीक्षा में कतिपय आपत्तियां उठती हैं और मंत्रालय ऐसी आपत्तियों/टिप्पणियों से सहमत नहीं होता है, तो संबद्ध मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों समेत एटीएन समिति में प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, उन मामलों में जहां जांच मंत्रालय/विभाग बकायों की वसूली के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी विषयों को स्वीकार कर लेता है और जहां वास्तविक वसूली में समय लगता है, तो लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों को अनन्तिम रूप से स्पष्ट करने पर विचार किया जा सकता है और मंत्रालय आगे बढ़कर एटीएन को समिति में प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु, ऐसे प्रत्येक मामले में यह आवश्यक है कि मंत्रालय कालांतर में की गई वसूली की लेखापरीक्षा से अवगत कराए।

पैरा 10:-

लेखापरीक्षा रिपोर्टों को संसद में रखे जाने के बाद इन्हें सीएंडएजी की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। समिति यह पाती है कि व्यय विभाग (मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ) इन्हें डाउनलोड करता है तथा मैनुअल तरीके से एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड करता है। मंत्रालयों ने यह कहा है कि की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को तैयार किए जाने तथा प्रस्तुत किए जाने में विलंब का एक प्रमुख कारण यह है कि क्षेत्रीय कार्यालय/स्वायत्तशासी निकाय/संस्थाएं काफी दूर-दूर स्थानों पर स्थित हैं और इसलिए उनसे पत्राचार करने तथा सूचना प्राप्त करने में विलंब होता है। समिति इस तथ्य पर विचार करते हुए कि लेखापरीक्षा रिपोर्टों को संसद में इन्हें रखे जाने के तत्काल बाद सीएंडएजी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्थायी निर्देश देना चाहिए कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस संबंध में औपचारिक सूचना हेतु संगत लेखापरीक्षा आपत्तियों संबंधी सीएंडएजी वेबसाइट को देखकर इंतजार किए बिना उत्तर तैयार करना आरंभ करना चाहिए/उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए। समिति इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश से अवगत होना चाहेगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि लोक लेखा समिति की टिप्पणियों पर संज्ञान लिया जाए और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी सचिव

सभी वित्त सलाहकार (नाम से)

प्रतिलिपिः- **1. लेखापरीक्षा निदेशक, सी एंड एजी का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।**
2. मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ।